GOVE RNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAIWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. E(GP)2016/1/9 New Delhi, dated 11.08.2016

The General Managers/Chief Administrative Officers/Director General,
All Indian Railways including CLW, DLW, ICF, DMW, RWF, RCF, COFMOW, MCF/RBL & RDSO.

Sub: Promotion of Group 'A' and Group 'B' officers to Senior Scale on ad-hoc basis.

Ref: Board's letter Nos. E(GP)85/1/48 dated 31.12.85, E(GP)89/1/8 dated 17.04.90 and 22.08.90.

In terms of Board's letter No. E(GP)85/1/48 dated 31.12.85, Group 'A'/Junior Scale officers with more than 3 years of service but less than 4 years, were eligible to be considered for looking after the duties in Senior Scale, on payment of special pay, as fixed from time to time by the Board, in addition to their pay in Junior Scale, and it was only in the absence of Group 'A' officers who have completed their probation successfully, that Group 'B' officers who have rendered not less than 3 years of service in Group 'B' could be considered for ad-hoc appointment to Senior Scale. This was based on the fact that all Senior Scale posts are in Group 'A' and, as such Group 'B' officers, irrespective of their length of service, can have no claim for promotion to Senior Scale, even on ad-hoc basis. However, while the position as contained in Board's letter dated 31.12.85 basically remaining unchanged, it was decided by the Board vide Board's letter No. E(GP)89/1/8 dated 17.04.90, as a temporary measure in the overall administrative interest, that in cases where a Group 'A'/Junior Scale officer who was eligible for regular promotion to Senior Scale, having completed 4 years' service, was not available, Group 'B' officers, who had rendered not less than 6 years' service in Group 'B', could be considered for ad-hoc promotion to Senior Scale, and in case, no such Group 'B' officer was available, the provisions contained in sub-paras 3.1(ii) and (iii) of Board's letter dated 31.12.85, would continue to be followed.

2. The matter has since been reconsidered by the Board. After careful consideration, it has been decided that the position as was laid down in Board's letter No. E(GP)85/1/48 dated 31.12.85 which is in consonance with Rule 214(b) of IREC Vol.- I, be restored. Therefore, the order of preference to be followed henceforth, while considering Group 'A' (Junior Scale)/Group 'B' officers for ad-hoc promotion against Senior Scale vacancies, will be as under:-

i) Vacancies arising in Senior Scale should be filled by Group 'A'/Junior Scale officers with 4 years of service who are eligible for regular promotion to Senior Scale;

contd...2

ii) If eligible Group 'A'/Junior Scale officers are not available but Junior Scale officers with a minimum of 3 years of service in Junior Scale, who have completed the probation successfully, are available, they should be considered for looking after the duties in Senior Scale on payment of charge allowance, as fixed by the Board from time to time, in addition to pay in Junior Scale, subject to the condition that pay plus charge allowance does not exceed the pay admissible on regular promotion to Senior Scale on completion of 4 years of service in Junior Scale;

iii) Failing (i) and (ii) above, by Group 'B' officers who have rendered not less than 3 years of service in Group 'B' and have been adjudged suitable by a Committee of HODs for appointment against Senior Scale vacancies.

3. For making ad-hoc promotion to Senior Scale, number of vacancies arising during the period 1st July of any year to 30th June of the following year shall be computed and while empanelling Group 'B' officers for ad-hoc promotion to Senior Scale against any such vacancies it shall be ensured that there may be no reasonable likelihood of any such Group 'B' officers not getting empanelled for regular promotion to Group 'A'/Junior Scale at a later date by the DPC constituted by the UPSC, and also adequate number of Senior Scale vacancies are available for Group 'A'/Junior Scale officers so as to consider them for ad-hoc promotion on completion of 3 years of service, so that there may be no occasion for Group 'B' officers having to be reverted once they have been promoted to Senior Scale on ad-hoc basis.

18/8/16

(Suman Sharma)
Director, Estt.(GP)
Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(जीपी)2016/1/9 नई दिल्ली, दिनांक 11.08.2016

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/महानिदेशक,
सभी भारतीय रेलें एवं चिरेका, डीरेका, सडिका, डीएमडब्ल्यू, रेल पहिया कारखाना, रेल कोच फैक्टरी, कॉफमो, एमसीएफ/आरबीएल एवं अ.अ.मा.सं.।

विषय: ग्रुप 'ए' और ग्रुप 'बी' के अधिकारियों की तदर्थ आधार पर वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति।

संदर्भ: बोर्ड के दिनांक 31.12.1985 का पत्र सं. ई (जीपी) 85/1/48, 17.04.90 और 22.08.90 का पत्र सं. ई(जीपी)89/1/8.

बोर्ड के दिनांक 31.12.85 के पत्र सं. ई(जीपी)85/1/48 के अनुसार, 3 वर्ष से अधिक परन्तु 4 वर्ष से कम सेवा वाले ग्रुप 'ए'/कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारी कनिष्ठ वेतनमान में उनके वेतन के अलावा बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित विशेष वेतन के भुगतान पर वरिष्ठ वेतनमान में कार्य संभालने के लिए विचार किए जाने के पात्र थे और ऐसे ग्रुप 'ए' अधिकारियों, जिन्होंने अपना प्रोबेशन सफलतापूर्वक पूरा किया हो, के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही ग्रुप 'बी' के उन अधिकारियों जिनकी 3 वर्ष से कम की सेवा न हो, को तदर्थ आधार पर वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्त करने पर विचार किया जा सकता था। यह इस तथ्य पर आधारित था कि सभी वरिष्ठ वेतनमान पद ग्रुप 'ए' में हैं और इसलिए ग्रुप 'बी' अधिकारी, चाहे उनका सेवाकाल कितना भी हो, वरिष्ठ वेतनमान में, यहां तक कि तदर्थ आधार पर भी पदोन्नति का दावा नहीं कर सकते हैं। बहरहाल, यद्यपि बोर्ड के दिनांक 31.12.85 के पत्र में निहित स्थिति मूलत: अपरिवर्तित है तथापि बोर्ड द्वारा अपने दिनांक 17.04.90 के पत्र सं. ई(जीपी)89/1/8 के तहत संपूर्ण प्रशासनिक हित में एक अस्थायी उपाय के रूप में यह विनिश्चय किया गया था कि यदि ग्रुप 'ए'/कनिष्ठ वेतनमान का कोई ऐसा अधिकारी उपलब्ध न हो जिसने चार वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो और वह वरिष्ठ वेतनमान में नियमित पदोन्नति का पात्र हो, तो ग्रुप 'बी' के ऐसे अधिकारी को वरिष्ठ वेतनमान में तदर्थ पदोन्नति करने पर विचार किया जा सकता है जिसने ग्रुप 'बी' में 6 वर्ष से कम की सेवा न की हो और यदि ग्रुप 'बी' का ऐसा अधिकारी उपलब्ध न हो तो बोर्ड के दिनांक 31.12.85 के पत्र के उप-पैरा 3.1(ii) और (iii) में निहित प्रावधान का पालन किया जाता रहेगा।

2. अब बोर्ड द्वारा इस मामले पर पुनर्विचार किया गया है। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यह विनिश्चय किया गया है कि बोर्ड के दिनांक 31.12.85 के पत्र सं. ई(जीपी)85/1/48 में यथा निर्धारित स्थिति, जो आईआरईसी वॉल.-I के नियम 214(ख) के अनुरूप है, बहाल

किया जाए। अत:, वरिष्ठ वेतनमान की रिक्तियों के तहत तदर्थ पदोन्नति के लिए ग्रुप 'ए' (कनिष्ठ वेतनमान)/ग्रुप 'बी' अधिकारियों पर विचार करते समय निम्नलिखित वरीयता क्रम का पालन किया जाएगा:

(i) वरिष्ठ वेतनमान में उत्पन्न हुई रिक्तियों को चार वर्ष की सेवा वाले ग्रुप 'ए'/कनिष्ठ वेतनमान के उन अधिकारियों द्वारा भरा जाना चाहिए जो वरिष्ठ वेतनमान में नियमित पदोन्नति के लिए पात्र हों।

(ii) यदि ग्रुप 'ए'/कनिष्ठ वेतनमान के पात्र अधिकारी उपलब्ध न हों परन्तु कनिष्ठ वेतनमान में न्यूनतम 3 वर्षों की सेवा वाले कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारी, जिन्होंने प्रोबेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो, उपलब्ध हों तो कनिष्ठ वेतनमान में वेतन के अलावा समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित प्रभार भत्ता (charge allowance) के भुगतान पर वरिष्ठ वेतनमान में ड्यूटी संभालने के लिए उन पर विचार किया जाना चाहिए; परन्तु उनका वेतन एवं प्रभार भत्ता, कनिष्ठ वेतनमान में 4 वर्षों की सेवा पूरी करने पर वरिष्ठ वेतनमान में नियमित पदोन्नति पर देय वेतन से अधिक नहीं होना चाहिए;

(iii) उपर्युक्त (i) और (ii) की स्थिति मौजूद न होने पर ग्रुप 'बी' के उन अधिकारियों द्वारा जिन्होंने ग्रुप 'बी' में 3 वर्ष से कम की सेवा न की हो और जिन्हें वरिष्ठ वेतनमान की रिक्तियों के तहत नियुक्ति के लिए विभागाध्यक्षों की समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो।

3. वरिष्ठ वेतनमान में तदर्थ पदोन्नति करने के लिए किसी वर्ष की 1 जुलाई और उसके अगले वर्ष की 30 जून की अवधि के दौरान उत्पन्न रिक्तियों की संख्या की गणना की जाएगी और ऐसी किसी रिक्ति के तहत वरिष्ठ वेतनमान में तदर्थ पदोन्नति के लिए ग्रुप 'बी' अधिकारियों का पैनल तैयार करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा बाद में किसी समय ग्रुप ए/कनिष्ठ वेतनमान में नियमित पदोन्नति के लिए किसी ऐसे ग्रुप बी अधिकारी के पैनलबद्ध न किए जाने की कोई समुचित संभावना न हो और साथ ही 3 वर्षों की सेवा पूरी होने पर तदर्थ पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए ग्रुप 'ए'/कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों के लिए वरिष्ठ वेतनमान की पर्याप्त संख्या में रिक्तियां हों ताकि जब ग्रुप 'बी' अधिकारियों को तदर्थ आधार पर वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति की जाए तो उन्हें पुन: ग्रुप 'बी' में रिवर्ट करने की कोई स्थिति पैदा न हो।

सुमन शर्मा 11/8/16

(सुमन शर्मा)
निदेशक, स्था.(जीपी)
रेलवे बोर्ड